


राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक : एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/1528 दिनांक : 14-10-2011
आदेश

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों की मांग के अनुसार बजट मांग संख्या 51 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789, अनुसूचित जातियों के लिए, विशिष्ट संघटक योजना (01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए) निम्नलिखित मदों में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	89 अंशदायी पेंशन योजना	विशेष विवरण
1	राज0 महा0, भीम (332)	30.00	—	—	0.50	0.50	संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान कार्यालय मद में आवंटित बजट से वहन किया जाये।
2	राज0 महा0, भवानीमण्डी (251)	—	—	—	—	0.50	—
3	राज0 महा0, केलवाडा (335)	15.00	0.10	—	—	—	—
4	राज0 महा0, झूझूनु (329)	60.00	0.10	0.20	—	—	—
5	राज0 महा0, थानागाजी (330)	30.00	0.10	0.10	—	—	—
6	राज0 महा0, सूरतगढ (13041)	13.00	—	—	—	—	—
7	राज0 महा0, पोकरण (12160)	16.00	—	—	—	—	—
8	राज0 स्कूल आफ आर्ट्स	—	—	—	0.50	—	संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान कार्यालय मद में आवंटित बजट से वहन किया जाये।
	योग	164.00	0.30	0.30	1.00	1.00	


उक्त राशि का आहरण सामान्य लेखा नियमों के अनुसार किया जावे।


संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा,
राज., जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/1528-32 दिनांक : 14-10-2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हक. राजस्थान, जयपुर
- 2- संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर।
- 4- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा,
जयपुर